आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :वाराणसी,जनपद :जौनपुर,तहसील :सदर
वाद सख्या :-00508/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201914360400508
श्रीमती प्रियंका सिंह बनाम राज्य सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रियंका एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट मतापुर जौनपुर जरिये प्रबन्धक श्रीमती प्रियंका सिंह पत्नी श्री अजीत कुमार सिंह, निवासी न्यू कालोनी, हुसेनाबाद, जौनपुर ने आराजी संख्या 314/0.956 हे0 स्थित मौजा राजेपुर(कजगॉव), परगना हवेली, तहसील सदर, जिला जौनपुर के बावत धारा 80 रा0सं0 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रश्नगत प्रार्थनापत्र के आलोक में तहसील से हलका लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार शहर/तहसीलदार सदर की जाँच आख्या क्रमशः दिनांक 15.11.2018/22.11.2018/25.01.2019/25.01.2019 नियत प्रारूप पर प्राप्त होकर सलग्न पत्रावली है। हलका लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार शहर/तहसीलदार सदर ने इस आशय की जाँच आख्या प्रेषित किया है कि ग्राम राजेपुर(कजगॉव), परगना हवेली, तहसील सदर, जिला जौनपुर स्थित आराजी नं0 314/0.936 हे0 भूमि सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर वर्तमान में कोई कृषि कार्य नही हो रहा है। उक्त आराजी में विद्यालय निर्माण का कार्य निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। प्रकरण अकृषिक होने के कारण प्रार्थी द्वारा सर्किल रेट के मुताबिक 1 प्रतिशत 83650/–रू0 उद्घोषणा शुल्क (भारतीय स्टेट बैंक शाखा जौनपुर में जमाकोष करके चालान की मूल प्रति) तथा उतनी ही धनराशि मु0 83650–00 का न्याय शुल्क भारतीय कोर्ट फी स्टैम्प पेपर प्रस्तुत किया है। ऐसी दशा में हलका लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार शहर/तहसीलदार सदर की जाँच आख्या क्रमशः दिनांक 15.11.2018/22.11.2018/25.01.2019/25.01.2019 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि मौजा राजेपुर(कजगॉव), परगना हवेली, तहसील सदर, जिला जौनपुर की आराजी नं0 314/0.936 हे0 भूमि का मालगुजारी मुताबिक 60–ख कृषि से भिन्न प्रयोजन में प्रयुक्त होना घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार सदर एंव उप निबंधक सदर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

25/01/19

(मंगलेश दूबे)
उप जिलाधिकारी
सदर–जौनपुर।

सत्य प्रतिलिपि
30/01/19
उप जिलाधिकारी
सदर - जौनपुर